GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 28 Feb, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 04 **Syllabus : GS 2 – International Relations**	ट्रम्प की रूस-यूक्रेन नीति यूरोपीय संघ-भारत वार्ता पर हावी है
Page 10 **Syllabus : GS 2 – International Relations**	जर्मनी के चुनाव परिणामों का क्या मतलब है?
Page 10 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	एसईसी और हेग सेवा सम्मेलन
In News	सामान्य एंटी अवॉइडेंस नियम
In News	भारत बंदरगाह मानकीकरण पहल
Page 06 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होंगे

GEO IAS It's about quality

Page 04 : GS 2 : International Relations

यूरोपीय आयोग (ईसी) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में **27** यूरोपीय आयुक्तों में से **22** का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली आया।

EU team begins crucial visit; activist points to rights issues

Leading the delegation, European Commission chief says India is a trusted friend, strategic ally; sources indicate that Indian side is ready with its arguments in case Manipur situation is raised

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Europe needs "trusted friends" to deal with the era of conflicts, European Commission President Ursula von der Leyen said on Thursday as she led a European Union delegation for a two-day visit to India. During the day, she met External Affairs Minister S. Jaishankar for talks.

The visit is being watched keenly as it comes against the backdrop of the U.S. and Russia holding peace talks over the war in Ukraine and the unfolding situation in neighbouring Bangladesh where the EU has been playing a crucial role in ensuring democracy.

Key dialogue: European Commission President Ursula von der Leyen offers tributes to Gandhiji in New Delhi on Thursday. The high-level European Union delegation is on a two-day visit to the country. AP

"In an era of conflicts and intense competition, you need trusted friends. For Europe, India is such a friend and a strategic ally. I'll discuss with Prime Minister Narendra Modi how to take our strategic partnership to the next level," said Ms. von der Leyen. The visit acquires a human rights focus because of remarks made by a leading human rights activist from Europe.

Soon after Ms. von der Leyen's arrival in India, Claudio Francavilla, Associate EU Director at the Human Rights Watch, prodded her to take up the human rights situation in India. "In a recent hearing on India, MEPs from across the political spectrum reiterated their call for a more vocal EU approach to Modi's crackdown on dissent and minorities. Will @vonderleyen & Commissioners finally comply, or persevere in harmful silence?" asked Mr. Francavilla. The human rights issues raised by Mr. Francavilla has brought back recent remarks of the EU regarding the situation in Manipur where ethnic conflict has been raging for 17 months.

In July 2023, the European Parliament had called upon India to end the clashes in Manipur, which often took sectarian and communal dimensions involving Meitei and Kuki-Zo communities of the State. India had hit back strongly at that time and condemned the EU's remarks as interference into India's domestic affairs.

Sources hinted that the Indian side has their arguments ready in case the EU team raises the situation on Manipur during the discussions. "We have already said that Manipur is our internal matter and that is going to be our position this time too in case they bring it up," said a source privy to the bilateral talks.

The rights situation of Bangladesh and the condition of the religious and ethnic minorities in that country is also a matter that is expected to come up during the interactions.

- यह अपनी तरह की पहली यात्रा है, जो भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में गहन होते संबंधों को रेखांकित करती है।
- यह यात्रा भारत-ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की बैठकों, भारतीय मंत्रियों और ईयू आयुक्तों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं और नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ हुई, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना था।

एक दीर्घकालिक साझेदारी

- भारत ने **1962** में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) - जो ईयू का अग्रदूत है - के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- पिछले दशकों में, संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिसमें प्रमुख मील के पत्थर शामिल हैं:
  - **o 1993:** संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य पर हस्ताक्षर।
  - **o 1994:** सहयोग समझौते की स्थापना।
  - **o 2000:** लिस्बन में पहला भारत-ईयू शिखर सम्मेलन।
  - **o 2004:** संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करना।
  - **o 2020: 2025** तक भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी रोडमैप को अपनाना।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कई बार मुलाकात की है, जिससे कूटनीतिक जुड़ाव मजबूत हुआ है।
- उनकी चर्चाओं में जलवायु कार्रवाई, वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषय शामिल रहे हैं।

भारत-यूरोपीय संघ सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **व्यापार और निवेश**
  - **o** भारत और यूरोपीय संघ **15** वर्षों से अधिक समय से मुक्त व्यापार समझौते (**FTA)** पर बातचीत कर रहे हैं, जिस पर **2021** में फिर से चर्चा शुरू होगी।
  - **o** यूरोपीय संघ वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, पिछले एक दशक में व्यापार में **90%** की वृद्धि हुई है।

- **मुख्य व्यापार आँकड़े (वित्त वर्ष** 2023-24):
  - **o** वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार: **$135** बिलियन (भारतीय निर्यात: **$76** बिलियन**;** आयात: **$59** बिलियन)।
  - **o** सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार: **$53** बिलियन (भारतीय निर्यात: **$30** बिलियन**;** आयात: **$23** बिलियन)।
- **o** भारत में यूरोपीय संघ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (**2000-2024): $117.4** बिलियन (कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह का **16.6%)**।
  - **o** यूरोपीय संघ में भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (**2000-2024): $40.04** बिलियन।
  - · एफटीए का उद्देश्य टैरिफ को कम करना, निवेश को बढ़ावा देना और दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना है।

- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग**
  - **o** भारत और यूरोपीय संघ उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग कर रहे हैं, खासकर डिजिटल बुनियादी ढांचे में चीन की तेजी से प्रगति के जवाब में।

- o **2022** में शुरू किया गया भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी निम्नलिखित पर केंद्रित है:
  - डिजिटल और रणनीतिक प्रौद्योगिकियाँ
  - स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियाँ

व्यापार, निवेश और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ

- सेमीकंडक्टर सहयोग: नवंबर **2023** में सेमीकंडक्टर अनुसंधान और विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **हरित ऊर्जा सहयोग**
  - o सुपरकंप्यूटिंग पहल: भारत और यूरोपीय संघ ने **2022** में उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) में सहयोग के इरादे पर हस्ताक्षर किए।
  - o एआई और साइबर सुरक्षा: यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली (**2023**) में एआई शिखर सम्मेलन में वैश्विक भागीदारी में भाग लिया।
    - स्थिरता भारत-यूरोपीय संघ सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में।
  - o भारत-यूरोपीय संघ हरित हाइड्रोजन सहयोग पहल: भारत ब्रुसेल्स में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह **2024** में अनन्य भागीदार था।
    - यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) ने भारतीय हाइड्रोजन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए **€1** बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है।
    - **2030** तक भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रयास चल रहे हैं।
    - ये पहल भारत के **2070** तक नेट-जीरो लक्ष्य और यूरोपीय संघ के कार्बन तटस्थता लक्ष्यों का समर्थन करती हैं।
- **रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग**
  - o भारत और यूरोपीय संघ ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है, विशेष रूप से एशिया में और उसके साथ बढ़ी हुई सुरक्षा (**ESIWA+**) कार्यक्रम के तहत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में।
  - o पहला भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास: अक्टूबर **2023** में गिनी की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा।
  - o सुरक्षा और आतंकवाद निरोध: दोनों पक्ष समुद्री डकैती नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाओं और साइबर खतरों पर सहयोग करते हैं।

- **अंतरिक्ष सहयोग:**
  - o इसरो ने दिसंबर **2024** में यूरोपीय संघ के प्रोबा-**3** मिशन को लॉन्च किया।
  - o चंद्रयान-**3**, आदित्य-एल**1** और गगनयान मिशनों पर भारत-यूरोपीय संघ सहयोग।

लोगों के बीच संबंध

- यूरोपीय संघ में भारतीय प्रवासियों में छात्रों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण संख्या शामिल है।
- इरास्मस छात्रवृत्ति: पिछले दो दशकों में **6,000** से अधिक भारतीय छात्रों को इरास्मस छात्रवृत्ति मिली है।
- शोध सहयोग: **2014** से मैरी स्कोलोडोस्का-क्यूरी एक्शन द्वारा **2,700** से अधिक भारतीय शोधकर्ताओं को वित्त पोषित किया गया है।
- कार्यबल गतिशीलता: भारतीय पेशेवरों को **2023-24** में यूरोपीय संघ के ब्लू कार्ड का **20%** प्राप्त हुआ, जिससे कुशल प्रवासन में सुविधा हुई।

निष्कर्ष

- यूरोपीय आयोग के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की यात्रा भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

- व्यापार, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और रक्षा सहयोग को गहरा करके, दोनों पक्षों का लक्ष्य एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनाना है।
- **FTA** वार्ता, सेमीकंडक्टर **R&D** और हाइड्रोजन परियोजनाएँ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेंगी, जिससे पारस्परिक आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित होगा।
- भू-राजनीतिक बदलावों के साथ, भारत और यूरोपीय संघ एक साथ एक लचीला, टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के महत्व का विश्लेषण करें। दोनों भागीदार अपनी रणनीतिक साझेदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं? (15 marks)

GEO IAS
It's about quality

Page 10 : GS 2 – International Relations

जर्मनी के चुनाव में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (**CDU**) को सबसे ज़्यादा वोट मिले, जबकि अल्टरनेटिव फ़ॉर जर्मनी (**AfD**) को काफ़ी समर्थन मिला। गठबंधन वार्ता से भविष्य की सरकार का निर्धारण होगा।

What do Germany's election results mean?

What are the major issues that shaped the German federal elections? Will AfD's rise affect Germany's future?

Padmashree Anandhan

The story so far:

On February 23, Germany held its federal elections with a new record of 82.5% turnout. According to the Federal Electoral Committee, the conservative Christian Democratic Union (CDU) along with the Christian Social Union (CSU) won the majority of votes followed by the far-right Alternative for Germany (AfD) leaving the Social Democrats (SPD) and the Greens in third and fourth places. The primary takeaway of the election is not the win of CDU but the rise of the AfD. For CDU to form a coalition, 316 seats are needed and the negotiations between CDU, AfD, and SPD remain a deciding factor for Germany's political landscape. The table shows the election results.

What are the major electoral issues?

In 2025, a new electoral reform changed the distribution of parliament seats. Voters cannot choose the chancellor directly. A ballot paper has two votes: one to decide the candidate with the most votes in a district, among 630 such seats in parliament. The next decides the proportional representation and vote distribution of the contending political parties. A clause excluded parties winning less than 5% of the vote from parliament. The reform removed "overhang seats," which previously benefitted the SPD, limiting parliament's size. Now, even if a candidate wins in a district, they cannot secure a seat unless their party succeeds in the second ballot.

The second issue was that of immigration. The CDU, FDP, AfD, and BSW have constantly called for tougher immigration regulations over the SPD and Greens' moderate stance. After several attacks in Germany, the public demand for stricter policies increased. CDU leader Friedrich Merz aimed to deport "undocumented foreigners and asylum seekers" from the border. Chancellor, Olaf Scholz criticised his approach but promised further border controls and faster deportations in a "humane and consistent" way. One of the reasons for AfD's vote gain is its strong stance against illegal migration.

Economic revival was the third issue. The parties stood for increasing economic competitiveness. The most debated issue was the debt brake law, restricting the structural deficit to 0.35% of GDP. CDU and FDP supported it, while the SPD and Greens preferred to relax it. However, with a recession, new investments remain uncertain. Merz pledged to cut bureaucracy, while Scholz called for wealth and high inheritance taxes.

Fourth, Ukraine and NATO dominated foreign policy. Most parties stood for supporting Ukraine and boosting the defences of NATO, except for AfD and BSW, who opposed military aid and favoured closer ties with Russia, including repairing Nord Stream pipelines. Meanwhile, SPD, CDU, and Greens supported increasing military spending above NATO's 2% requirement.

Ballots and breakthroughs

With a record 82.5% turnout, Germany's 2025 federal election marked a political shift driven by economic concerns, immigration debates, and the rise of the far-right AfD

Friedrich Merz led the Christian Democratic Union to victory in the election

Party	Leader	Vote %	Seats
CDU/CSU	Friedrich Merz	28.5%	208
AfD	Alice Weidel	20.8%	152
SPD	Olaf Scholz	16.4%	120
Greens	Robert Habeck	11.6%	85
Left	Jan van Aken	8.8%	69
BSW	Klaus Ernst	4.9%	0
FDP	Christian Lindner	4.3%	0
SSW	Stefan Seidler	0.2%	1

What explains the rise of AfD?

The growing influence of the far-right AfD is due to several reasons, primarily the migrant crisis. The government's lenient approach to refugees led to the rise of security and economic concerns, creating a divide. This was used by the AfD in its favour, showcasing a stricter stance on immigration and border control. Another key reason for AfD's rise was its encashing in on the dissatisfaction of mainstream parties. AfD also targetted young voters through social media and appeals to East Germans, who face high unemployment and feel unrepresented. Beyond domestic factors, the broader right-wing shift in France, Italy, and Hungary further aligned with AfD's agenda.

Will CDU be able to form a stable government?

To form a government, the parties that won must negotiate to form a coalition majority. Germany's election system and the recent reform promote coalition governments, and with CDU and CSU falling 108 seats short of a majority, they need support from either the SPD or AfD. However, with SPD, negotiating on social policy is viewed to be difficult, while the AfD stands secluded as the mainstream parties have vowed not to work with it. CDU leader Merz indicated the same, calling the new government "one of the last chances" to prevent the growth of AfD. According to AfD's leader, Alice Weidel, a political change is already in process but is being delayed. Considering the possibilities of a CDU-SPD coalition, several ideological differences persist on issues such as taxes, social welfare, immigration, employment flexibility, and climate action. But, given the historical relations and the mindset of both parties, despite Scholz's objections, to come together, intense talks are needed to lead to a coalition. One advantage of Germany's political system is that it facilitates negotiations and is well structured to provide opportunities that can prevent a political impasse.

Padmashree Anandhan is a Research Associate with the Europe Area Studies at NIAS

समाचार का विश्लेषण:

- CDU-CSU की जीत: रूढ़िवादी गठबंधन ने सबसे ज़्यादा सीटें जीतीं, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला।
- AfD का उदय: दक्षिणपंथी AfD दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जो सख़्त आव्रजन नीतियों के लिए बढ़ते जन समर्थन को दर्शाता है।
- गठबंधन की चुनौतियाँ: CDU-CSU को बहुमत के लिए 316 सीटों की ज़रूरत है और उसे अन्य पार्टियों के साथ बातचीत करनी होगी, लेकिन बड़े मतभेद मौजूद हैं।

प्रमुख चुनावी मुद्दे:

- मतदान प्रणाली में बदलाव: 2025 में, मतदान के नियम बदल गए। लोग दो बार वोट करते हैं - एक बार स्थानीय नेता के लिए और एक बार किसी पार्टी के लिए। संसद में प्रवेश करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 5% वोट चाहिए।
- आव्रजन नियम: कुछ पार्टियाँ (CDU, FDP, AfD, BSW) सख़्त कानून चाहती हैं, जबकि SPD और ग्रीन्स नरम नियम पसंद करते हैं। जर्मनी में हमलों ने लोगों को सख़्त आव्रजन नीतियों की माँग करने पर मजबूर कर दिया।
- धन और अर्थव्यवस्था: एक नियम जर्मनी के ऋण को सीमित करता है। CDU और FDP इसे बनाए रखना चाहते हैं; SPD और ग्रीन्स इसे शिथिल करना चाहते हैं। बातचीत में व्यापार वृद्धि और लालफीताशाही को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
- अधिकांश पार्टियाँ यूक्रेन और नाटो का समर्थन करती हैं, लेकिन AfD और BSW रूस के साथ बेहतर संबंध पसंद करते हैं। 2% नाटो खर्च नियम पर बहस हुई।

परिणाम के भविष्य के निहितार्थ

- गठबंधन की चुनौतियाँ - क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (CDU) को गठबंधन की आवश्यकता है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के साथ वैचारिक मतभेदों और अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AfD) के अलगाव का सामना करना पड़ रहा है।
- अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AfD) का उदय - AfD के लिए बढ़ते समर्थन से आव्रजन पर नीतियाँ बदल सकती हैं और राजनीतिक विभाजन गहरा सकता है।
- आर्थिक और विदेश नीति प्रभाव - ऋण ब्रेक बहस निवेश को प्रभावित करती है।
- विदेश नीति में बदलाव - यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के लिए AfD का विरोध जर्मनी की नाटो प्रतिबद्धताओं को चुनौती देता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: जर्मनी के हालिया संघीय चुनाव परिणामों का भारत-जर्मनी संबंधों पर प्रभाव तथा यूरोप की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर उनके व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करें। **(150 Words /10 marks)**

GEO IAS
It's about quality

18 फरवरी, **2025** को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने हेग सेवा कन्वेंशन के तहत भारत सरकार से प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को सम्मन जारी करने के लिए कहा।

The SEC and Hague Service Convention

What is the Hague Service Convention, and how does it work? How is the U.S. Securities and Exchange Commission attempting to serve summons on the Adanis? What are India's reservations under the Convention? How long does the service process typically take?

EXPLAINER

Aaratrika Bhaumik

The story so far:

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) informed a New York court on February 18 that it has sought assistance from the Indian government under the Hague Service Convention – formally known as the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 1965 – to serve summons on billionaire Gautam Adani and his nephew Sagar Adani in a securities and wire fraud case.

What did the SEC say?

The SEC informed the court that it had invoked Article 5(a) of the Convention to request India's Ministry of Law and Justice to facilitate the service of summons on the defendants. It further stated that it is exploring alternative service methods permitted under Rule 4(f) of the Federal Rules of Civil Procedure, which governs civil litigation in U.S. federal courts.

On February 10, the Trump administration paused enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – one of the laws under which the Adanis have been charged – for 180 days. The FCPA prohibits U.S. entities and individuals from bribing foreign governments, political parties, or officials to secure business.

As per the executive order, the Attorney General must review "all existing FCPA investigations or enforcement actions" and take steps "to restore proper bounds on FCPA enforcement". However, the SEC's latest court filing suggests that the order does not apply retroactively. As a result, the agency's investigation into the Adanis is likely to continue unless the law is amended.

Legal tussle: The Trump administration paused enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act, one of the laws under which the Adanis have been charged, for 180 days. FILE PHOTO

How does the Hague Service Convention operate?

With the rise in cross-border litigation, the need for an effective and reliable mechanism to serve judicial and extrajudicial documents on parties residing in foreign jurisdictions became imperative. As a result, countries adopted the Convention at the Hague Conference on Private International Law in 1965. Building on the 1905 and 1954 Hague Conventions on Civil Procedure, this multilateral treaty ensures that defendants sued in foreign jurisdictions receive timely and actual notice of legal proceedings while facilitating proof of service.

Eighty-four states, including India and the U.S., are parties to the Convention. Its procedures apply only when both the sending and receiving countries are signatories. Each member state must also designate a central authority to process requests and facilitate the service of documents from other signatory states.

Signatory states can select the modes of transmission that apply within their jurisdiction. Under the Convention, the primary mode of service is through designated central authorities. However, alternative channels are also available, including postal service, diplomatic and consular channels, direct communication between judicial officers in both states, direct contact between an interested party and judicial authorities in the receiving state, and direct communication between government authorities.

How is service effectuated on defendants in India?

India acceded to the Convention on November 23, 2006, with certain reservations, expressly opposing all alternative service methods under Article 10. It prohibits the service of judicial documents through diplomatic or consular channels, except when the recipient is a national of the requesting country. For instance, a U.S. court cannot serve documents in India through U.S. diplomatic or consular channels, unless the recipient is a U.S. national residing in India. Additionally, all service requests must be in English or accompanied by an English translation.

As a result, valid service can only be executed through the Ministry of Law and Justice, India's designated central authority. The Ministry is permitted to reject a service request, but must specify the reasons for such refusal. For instance, under Article 13, a request can be denied if the state believes its sovereignty or security would be compromised.

However, a state cannot reject a service request solely because it claims exclusive jurisdiction over the subject matter under its domestic law. Similarly, under Article 29, a request cannot be refused simply because the state's internal law does not recognise a right of action.

If the central authority raises no objections, it proceeds with serving the defendant. The service is then treated as a summons issued by an Indian court under Section 29(c) of the Code of Civil Procedure, 1908. Once completed, the central authority issues an acknowledgement to the requesting party. The entire process typically takes six to eight months.

Can a default verdict be rendered?

A default judgment may be issued under the Convention if a foreign government refuses to cooperate in serving summons on a defendant residing within its jurisdiction. However, Article 15 prescribes specific conditions that must be met before such a judgment can be rendered: (a) the document must have been transmitted through one of the methods outlined in the Convention; (b) at least six months must have elapsed since the transmission, with the court determining this period to be reasonable in the given case; and (c) no certificate of service has been received despite all efforts to obtain it through the competent authorities of the recipient state.

Notably, India has expressly declared that its courts may issue a default judgment in cross-border disputes even if no certificate of service or delivery has been received, provided that all conditions under Article 15 are met.

Recently, in *Duong v. DDG BIM Services LLC* (2023), American plaintiffs sought permission to serve Indian defendants via email, citing difficulties in effectuating service through India's central authority as prescribed by the Convention. Judge Kathryn Kimball Mizelle underscored that Article 15 functions as a "safety valve," allowing default judgment to be entered if "India's central authority fails to hold up its end of the bargain."

THE GIST

- The U.S. Securities and Exchange Commission has invoked the Hague Convention to serve summons on Gautam Adani and Sagar Adani through India's Ministry of Law and Justice.
- India has reservations under the Hague Convention, prohibiting alternative service methods. It can reject the request under Article 13 if it believes national security or sovereignty is at risk.
- In *Duong v. DDG BIM Services LLC* (2023), a U.S. court underscored that if India's central authority fails to act under the Hague Convention, a default judgment could be entered.

हेग सर्विस कन्वेंशन क्या है?

- हेग सर्विस कन्वेंशन, जिसे औपचारिक रूप से सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में सेवा पर कन्वेंशन (1965) के रूप में जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संधि है जो सिविल और वाणिज्यिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार कानूनी दस्तावेजों की सेवा की सुविधा प्रदान करती है।

यह कैसे काम करता है?

- हेग सर्विस कन्वेंशन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में सीमाओं के पार कानूनी दस्तावेजों की सेवा के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करता है।
- यह सदस्य देशों में केंद्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से संचालित होता है, कुशल सेवा सुनिश्चित करता है, प्रतिवादियों के अधिकारों की रक्षा करता है, और अनुमति मिलने पर डाक सेवा जैसे वैकल्पिक तरीकों की अनुमति देता है। इसमें आपराधिक मामले और गैर-हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र शामिल नहीं हैं।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग अडानी को समन देने का प्रयास कैसे कर रहा है?

- हेग सर्विस कन्वेंशन का आह्वान: SEC ने गौतम अडानी और सागर अडानी को आधिकारिक रूप से समन देने के लिए हेग सर्विस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5(a) के तहत भारत के विधि और न्याय मंत्रालय से सहायता का अनुरोध किया है। वैकल्पिक सेवा विधियों की खोज: SEC, U.S. संघीय नागरिक प्रक्रिया नियम के नियम 4(f) के अंतर्गत वैकल्पिक विधियों पर विचार कर रहा है, जो ईमेल या सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से सेवा की अनुमति देता है, यदि पारंपरिक विधियों में देरी होती है।
- FCPA निलंबन के बावजूद कार्यवाही: हालाँकि ट्रम्प प्रशासन ने 180 दिनों के लिए विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) प्रवर्तन को अस्थायी रूप से रोक दिया है, SEC का तर्क है कि यह रोक पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होती है, जिससे अदानी में उनकी जाँच जारी रह सकती है।

कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की क्या आपत्तियाँ हैं?

- वैकल्पिक सेवा विधियों का विरोध: भारत, कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत डाक सेवा, राजनयिक चैनल और विदेशी न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष सेवा सहित सभी वैकल्पिक सेवा विधियों को अस्वीकार करता है।
  o उदाहरण: एक U.S. न्यायालय भारत में U.S. कांसुलर चैनलों के माध्यम से कानूनी दस्तावेज़ों की सेवा नहीं कर सकता है, जब तक कि प्राप्तकर्ता भारत में रहने वाला U.S. नागरिक न हो।
- केंद्रीय प्राधिकरण का अनिवार्य उपयोग: सभी सेवा अनुरोधों को भारत के विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जाना चाहिए, जो विदेशी समन की प्रक्रिया के लिए नामित केंद्रीय प्राधिकरण है। अनुरोध अंग्रेजी में होना चाहिए या उसका अंग्रेजी अनुवाद शामिल होना चाहिए।
  o उदाहरण: पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड बनाम बोरिस शिपिंग लिमिटेड (2019) में, यू.के. की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत की आपत्तियों के कारण वैकल्पिक तरीकों से सेवा देना अमान्य है

सेवा प्रक्रिया में आमतौर पर कितना समय लगता है?

- भारत में हेग सेवा कन्वेंशन के तहत सेवा प्रक्रिया में आमतौर पर छह से आठ महीने लगते हैं। अनुरोध प्राप्त करने के बाद, भारत का विधि और न्याय मंत्रालय इसे सत्यापित करता है और उचित प्राधिकारी को अग्रेषित करता है।
- पूरा होने पर, अनुरोध करने वाले देश को सफल सेवा की पुष्टि करते हुए एक पावती जारी की जाती है।

आगे की राह:

- प्रसंस्करण तंत्र में तेजी लाएं: सेवा अनुरोधों को संभालने में देरी को कम करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के भीतर डिजिटल ट्रैकिंग और सुव्यवस्थित वर्कफ़्लो को लागू करें।

- द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करें: हेग सेवा कन्वेंशन के पूरक और तेज़ दस्तावेज़ सेवा की सुविधा के लिए द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से प्रमुख देशों के साथ कानूनी सहयोग बढ़ाएँ।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वैश्विक व्यापार और राजनीति पर यूरोपीय संघ की नीतियों के प्रभाव पर चर्चा करें। (15 marks)

GEO IAS
It's about quality

In News : General Anti Avoidance Rules

आयकर विधेयक 2025 के नए प्रस्ताव के तहत आयकर अधिकारी अब सामान्य कर परिहार विरोधी नियम (जीएएआर) के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने में सक्षम हो सकते हैं।

सामान्य कर-चोरी विरोधी नियमों के बारे में

- यह भारत में कर चोरी को रोकने और कर चोरी से बचने के लिए एक कर-चोरी विरोधी कानून है।
- यह **1** अप्रैल **2017** को लागू हुआ। **GAAR** प्रावधान आयकर अधिनियम, **1961** के अंतर्गत आते हैं।
- **GAAR** आक्रामक कर नियोजन की जाँच करने के लिए एक उपकरण है, विशेष रूप से उन लेन-देन या व्यावसायिक व्यवस्थाओं की जाँच करता है जो कर से बचने के उद्देश्य से किए जाते हैं।
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से कंपनियों द्वारा किए जाने वाले आक्रामक कर-चोरी उपायों के कारण सरकार को होने वाले राजस्व घाटे को कम करना है।
- यह उन लेन-देन पर लागू होता है जो प्रथम दृष्टया कानूनी हैं, लेकिन कर में कमी लाते हैं।
- वर्तमान नियमों के तहत, पुनर्मूल्यांकन नोटिस जहाँ कम रिपोर्ट की गई आय **₹50** लाख या उससे अधिक है, मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से **5** वर्ष और **3** महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए।
- जीएएआर प्रावधान कर प्राधिकारियों को किसी भी व्यवस्था या लेनदेन को 'अनुचित कर परिहार व्यवस्था' (आईएए) के रूप में मानने तथा आय और परिणामी कर निहितार्थों की पुनः गणना करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं।

In News : India Port Standardization Initiatives

केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, वैश्विक व्यापार में उपस्थिति बढ़ाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के तहत प्रमुख पहलों की शुरुआत की।

- ये पहल बंदरगाह की कार्यकुशलता में सुधार, सुविधाओं को उन्नत करने, भारतीय बंदरगाहों को वैश्विक व्यापार नेटवर्क के साथ एकीकृत करने और कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। हरित प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाह संचालन को अपनाने पर भी जोर दिया गया।

प्रमुख समुद्री पहलों का शुभारंभ

- केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (**MoPSW)** की कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया।
- इन पहलों का शुभारंभ हितधारकों की बैठक के दौरान किया गया, जिसमें समुद्री क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं से विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की गई।

एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया (ONOP): **बंदरगाह संचालन का मानकीकरण**

- **ONOP** को भारत के प्रमुख बंदरगाहों में बंदरगाह संचालन को मानकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था।

- इस पहल का उद्देश्य दस्तावेज़ीकरण में विसंगतियों को खत्म करना, अक्षमताओं को कम करना, लागत कम करना और परिचालन में देरी को कम करना है।
- मंत्रालय ने दस्तावेज़ीकरण को सुव्यवस्थित किया है, कंटेनर संचालन दस्तावेजों में **33%** (**143** से **96** तक) और बल्क कार्गो दस्तावेजों में **29%** (**150** से **106** तक) की कटौती की है।

सागर अंकलन - लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स (LPPI): **प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना**

- सागर अंकलन **LPPI** को पोर्ट के प्रदर्शन का आकलन करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए पेश किया गया था।
- यह कार्गो हैंडलिंग, टर्नअराउंड समय, बर्थ आइडल टाइम और शिप बर्थ-डे आउटपुट जैसे प्रमुख मेट्रिक्स का मूल्यांकन करता है।
- प्रदर्शन को बेंचमार्क करके और पारदर्शिता और दक्षता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, **LPPI** समुद्री अमृत काल विजन **2047** के साथ संरेखित होता है और भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करता है।

भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम: व्यापार पहुंच का विस्तार

- भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम को **IPGL** (संचालन), **SDCL** (वित्त), और **IPRCL** (बुनियादी ढांचे के विकास) को एकीकृत करके भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था।
- यह पहल लॉजिस्टिक्स को बढ़ाएगी, 'मेक इन इंडिया' आंदोलन का समर्थन करेगी और वैश्विक व्यापार संपर्क को मजबूत करेगी।

मैत्री: व्यापार में डिजिटल परिवर्तन

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनियामक इंटरफ़ेस (मैत्री) के लिए मास्टर एप्लीकेशन को व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नौकरशाही देरी को कम करने और एआई और ब्लॉकचेन के माध्यम से दक्षता में सुधार करने के लिए पेश किया गया था।
- मैत्री भारत और यूएई के बीच वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (वीटीसी) को संचालित करने, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के साथ संरेखित करने और बिम्सटेक और आसियान देशों तक विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हरित बंदरगाह और नौवहन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस): स्थिरता को आगे बढ़ाना

- समुद्री परिचालन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हरित बंदरगाह और नौवहन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस) के लिए एक वेबसाइट शुरू की गई।
- यह कार्बन फुटप्रिंट में कमी, स्वच्छ ईंधन और पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाह प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

भारत समुद्री सप्ताह 2025: **समुद्री विकास का प्रदर्शन**

- भारत **27-31** अक्टूबर, **2025** तक मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह की मेजबानी करेगा।
- इस कार्यक्रम में भारत की 'समुद्री विरासत' और 'समुद्री विकास' पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें चौथा वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन (जीएमआईएस) और सागरमंथन का दूसरा संस्करण शामिल होगा।
- इसमें **100** देशों के प्रतिनिधि और **100,000** प्रतिनिधि भाग लेंगे।

भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करना

- भारतीय शिपयार्ड के लिए वित्तीय सहायता पर चर्चा की गई, जिसमें शामिल हैं:
- दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए **25,000** करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष।
- बड़े जहाजों को बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता देना, निवेश के अवसरों को खोलना।
- जहाज निर्माण क्लस्टर प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ाएंगे।
- जहाज निर्माण इनपुट के लिए सीमा शुल्क छूट में **10** साल की अवधि के लिए विस्तार।
- नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जहाजों पर टन भार कर व्यवस्था का विस्तार।
- जहाजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना।

भारत की नीली अर्थव्यवस्था के लिए विजन

- केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था नौकरियों, व्यापार, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई:
  - **2030** तक भारत को शीर्ष **10** जहाज निर्माण राष्ट्र बनाना।
  - विश्व स्तरीय, कुशल और भविष्य के लिए तैयार समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
  - वैश्विक समुद्री महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना।
- इन उपायों का उद्देश्य वित्तीय पहुंच को बढ़ाना, जहाज निर्माण का समर्थन करना और समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में बंदरगाह मानकीकरण में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इनसे निपटने के उपाय सुझाएँ। (15 marks)

GEO IAS
It's about quality

GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 06 Editorial Analysis

A process where free and fair elections will be a casualty

P.D.T. Achary

is a former Secretary-General, Lok Sabha

The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill is flawed as it backs the government-supported candidate

The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 was the first law enacted by Parliament, under Article 324(5) of the Constitution, dealing with the appointment of the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (EC). This law was made in response to a Supreme Court of India order of March 2023 according to which the CEC and ECs should be appointed on the basis of a recommendation made by a high-power committee comprising the Prime Minister, the Leader of Opposition (LoP) in the Lok Sabha and the Chief Justice of India (CJI). This was to be an interim measure until Parliament made a law on the subject. As a matter of fact, in the past, the CEC and ECs where always appointed by the President of India on the recommendation of the Prime Minister. This was found to be an unsatisfactory situation by the Court as it would affect the impartiality of the Election Commission of India, which is constitutionally tasked with conducting elections in a free and fair manner.

Challenging the new law

Although the government made the new law as per the direction of the Court, in the committee it replaced the CJI with a cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister who chairs the three-member committee. The LoP is the other member. This law has been challenged on the ground that the provision relating to the composition of the selection panel violates the direction of the five-judge Bench of the Supreme Court. The Constitution Bench was headed by Justice K.M. Joseph (retired).

The new law provides for a search committee headed by the Law Minister and two senior bureaucrats in the Union government, which will prepare a list of five persons for the committee to consider. The names of persons found eligible by the search committee have not been made public. Anyway, the seniormost EC has been chosen to be appointed as the CEC by the two members of the committee, namely, the Prime Minister and the Home Minister. The LoP put in a dissenting note, wanting the selection to be put off till the Court has considered the challenge to the law. As it happened the decision was taken by the majority in the selection committee. It must be said here that the procedure laid down in the law has been complied with. Subsequently the appointments of CEC and another EC have been officially notified.

Now that the law on the appointment of the CEC and ECs has come up for hearing in the Court, there are certain constitutional issues which need to be highlighted for a proper perspective in the matter of appointment of these high constitutional authorities

Infirmities in the selection process

The Constitution of India has vested the entire responsibility for conducting the elections to Parliament and State legislatures to the offices of the President and the Vice President, and preparing the electoral role for these elections in the Election Commission of India (ECI) under Article 324. Plenary powers for effectively discharging this responsibility have also been conferred on this body. The Court, in *Election Commission of India vs State of Tamil Nadu and Others* (1993), while dealing with the question of powers of the ECI stated as follows: "the election commission of India is a high constitutional authority charged with the function and the duty of ensuring free and fair elections and of the purity of the electoral process. It has all the incidental and ancillary powers to effectuate the constitutional objective and purpose. The plenitude of the commission[']s powers corresponds to the high constitutional functions it has to discharge".

This and many other judgments of the Court lay stress on the duty of the ECI to ensure free and fair elections and to maintain the purity of the electoral process. Around 960 million voters participate in the voting process in India, making it the most gigantic task for an electoral body anywhere in the world. To conduct such a massive election, while ensuring that it is free and fair, demands that the ECI should have persons of unimpeachable integrity, with proven competence and absolute impartiality in heading it. Therefore, it is of utmost importance that such persons are selected through a process which is constitutionally correct and which also inspires great confidence in the citizens of India.

The most crucial part of this law is the composition of the select committee, which is chaired by the Prime Minister and has the LoP and a cabinet Minister nominated by the Prime Minister as members. Section 7 of the Act says that the President shall appoint the CEC and ECs on the recommendation of the select committee. It is mandatory for the President to appoint persons recommended by the select committee. Thus, the select committee has the final say on who should be appointed the CEC and ECs.

The most serious infirmity in this provision is that the law itself creates a majority in favour of the government. When the third member of the committee is a cabinet Minister under the Prime Minister, it is clear that the Prime Minister and the cabinet Minister will at all times constitute the majority, thus making it impossible for the select committee to make an objective assessment of the comparative merit of all the listed candidates. This committee can select only a person whom the government favours. The function of the law is only to lay down the qualification or the status of the members to be brought on the selection committee, and not to ensure through a legal legerdemain a majority for the government's candidate. A cabinet Minister will always support the Prime Minister's proposal, so where is the objective assessment of all the listed persons by such a committee? The majority opinion in any committee emerges through discussion among independent members which cannot be predicted beforehand. But in the committee under this law, the outcome can be predicted beforehand.

Another serious infirmity is that the chairperson nominates one of the members, namely, the cabinet Minister. Members of the selection committee which selects the CEC and ECs need to be independent men capable of expressing their free will. When the chairman himself nominates one member, this candidate will undoubtedly be subservient to the chairman. A cabinet Minister cannot take a view that is different from that of the Prime Minister. Thus, the selection committee as it is constituted has an inherent incapacity to select the best person through an objective assessment.

It defeats fairness and objectivity

These infirmities make this law constitutionally unsustainable because the provision relating to the composition of the committee is arbitrary and does not have a rational basis. Further, by creating a majority in favour of the government supported candidate, it does not allow a fair and objective assessment of the merit of other similarly placed candidates. Thus, this provision may violate Article 14 of the Constitution. Besides, the selection of the CEC and other ECs has a vital bearing on the conduct of free and fair elections and in maintaining the purity of the electoral process, which is a part of the basic structure of the Constitution. So, if the composition of the select committee ensures a majority for the government supported candidate always, free and fair elections will be a casualty.

The Supreme Court of India will have to take a hard look at this law.

GS Paper 02: भारतीय राजनीति

PYQ : UPSC CSE(M) GS-2 2017) भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनाव सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए वे किस हद तक महत्वपूर्ण हैं? (250 words/15m)

UPSC Mains Practice Question चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 2023 के कानून के संवैधानिक और लोकतांत्रिक निहितार्थों पर चर्चा करें। यह भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करता है? (250 Words /15 marks)

संदर्भ :

- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) विधेयक त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह सरकार द्वारा चुने गए उम्मीदवार का पक्षधर है।

नियुक्ति के लिए 2023 विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- चयन समिति की संरचना: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और एक कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री द्वारा नामित) सदस्य हैं।
- खोज समिति: कानून मंत्री की अध्यक्षता में, दो वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ, विचार के लिए पाँच योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए।
- नियुक्ति प्रक्रिया: भारत के राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति करते हैं।
- वरिष्ठता सिद्धांत: सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना है।
- सिफारिशों की बाध्यकारी प्रकृति: राष्ट्रपति के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्त करना अनिवार्य है।

नए कानून को क्यों चुनौती दी गई है?

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से विचलन: मार्च 2023 में, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश

(सीजेआई) वाली एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जानी चाहिए। नया कानून सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करता है, जिससे चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता कमज़ोर होती है।

- पारदर्शिता का अभाव: योग्य उम्मीदवारों की खोज समिति की सूची सार्वजनिक नहीं की जाती है, जिससे जवाबदेही कम होती है।
- सरकार का प्रभुत्व: संरचना सरकार के पसंदीदा उम्मीदवार के लिए अंतर्निहित बहुमत सुनिश्चित करती है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन कमज़ोर होता है।

चयन प्रक्रिया में कौन सी संवैधानिक कमज़ोरियाँ पाई गई हैं?

- चयन समिति में सरकार द्वारा नियंत्रित बहुमत: चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता (एलओपी) शामिल होते हैं।
  o यह संरचना स्वाभाविक रूप से सरकार के पक्ष में 2:1 बहुमत बनाती है, जिससे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी होने का मौका मिलता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन कमज़ोर होता है।
- स्वतंत्र निरीक्षण का अभाव: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को कैबिनेट मंत्री से बदलने से न्यायिक निरीक्षण कमज़ोर होता है। इससे जाँच और संतुलन कम हो जाता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के अधीनस्थ होता है और सरकार की प्राथमिकताओं को चुनौती देने की संभावना नहीं होती।
- निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का उल्लंघन: यह प्रक्रिया पूर्व निर्धारित सरकारी बहुमत के कारण उम्मीदवारों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं करती है। यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन कर सकता है क्योंकि यह सरकार के पक्ष से बाहर योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर से वंचित करता है और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता करके बुनियादी संरचना सिद्धांत को ख़तरे में डालता है।

सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ क्या हैं?

- चुनाव आयोग की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, जो लोकतंत्र की एक मूलभूत विशेषता है।
  o उदाहरण: भारत के चुनाव आयोग बनाम तमिलनाडु राज्य (1993) में, न्यायालय ने माना कि ईसीआई के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूर्ण शक्तियाँ हैं, जो स्वतंत्र नियुक्तियों की आवश्यकता को पुष्ट करता है।
- तटस्थ चयन प्रक्रिया की आवश्यकता: न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईसीआई जैसे संवैधानिक निकायों में नियुक्तियाँ कार्यपालिका के प्रभुत्व को रोकने के लिए तटस्थ और स्वतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए।
  o उदाहरण: मार्च 2023 में, संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को संतुलित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करना चाहिए।
- कार्यपालिका के अतिक्रमण पर चिंताएँ: न्यायालय ने चेतावनी दी कि कार्यपालिका को नियुक्तियों को नियंत्रित करने की अनुमति देने से संस्था की स्वायत्तता कमज़ोर हो सकती है और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता ख़तरे में पड़ सकती है।

- उदाहरण: न्यायालय ने देखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली नियुक्तियों की ऐतिहासिक प्रथा असंतोषजनक थी, क्योंकि इससे आयोग की स्वतंत्रता से समझौता होता था।

- अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन: न्यायालय ने पाया कि सरकार के पक्ष में चयन प्रक्रिया योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर से वंचित करके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकती है।
  - उदाहरण: वर्तमान कानून सरकार-बहुमत वाला पैनल बनाता है, जो नियुक्तियों में राजनीतिक पूर्वाग्रह की अनुमति देता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है।
- मूल संरचना सिद्धांत को कायम रखना: न्यायालय ने दोहराया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं, जिससे पक्षपातपूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाओं द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता है।
  - उदाहरण: एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में, न्यायालय ने पुष्टि की कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी कानून मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करेगा और उसे रद्द किया जा सकता है।

आगे का रास्ता:

- न्यायिक निगरानी बहाल करें: निष्पक्षता और स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को फिर से शामिल करें।
- पारदर्शिता बढ़ाएँ: खोज समिति की उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करें और निष्पक्ष और निष्पक्ष चयन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड अपनाएँ।

GEO IAS
It's about quality